

# आदेश - पत्रक

अनुसूचित 14-फारम नं० 562

(देखें अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ..... ता० ..... से ..... तक  
 जिला ..... से दो० खी० वी० सं० ..... 12-13

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

27-2-12

श्री मती प्रिये देवी  
 पत्नी श्री राज कुमार ग्राम जय महावीर की लोनी  
खैरपुर  
 स्थान खैरपुर जिला पटना  
 पी.वा. नं० 22658 दिनांक 8.8.12

को आधार पर निम्नांकित जमाने पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

मौजा का नाम	श्रीकांत	खता नं०	खरारा	एराजी
<u>खैरपुर</u>	<u>11</u>	<u>426</u>	<u>437</u>	<u>450</u>
				<u>वसुधै</u>
				<u>लगात</u>
				<u>0=50</u>

मूल आवेदन पत्र लम्बे कर्मचारियों को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिकेन्द्रित करने के लिये अंचल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग कर। अभिलेख दिनांक 27/2/12 को उपस्थित करें।

अंचल अधिकारी अंचल अधिकारी

मददल पर मामला चोटित प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कर्मचारियों का प्रतिकेन्द्रित अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खारिज करने की अनुशांसा किये हैं। फलतः उनके अनुशांसा को आधार पर दाखिल खारिज किया गया है।

अंचल अधिकारी अंचल अधिकारी